(c) whether total investment have gone to high priority and technology industries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) During the year 1991-92, approvals have been given for foreign direct investment of Rs. 1328.19 crores. Country-wise break-up of the total foreign investment approved for this period is given in the attached Statement, *{See* below)..

More than 80% investment approved is in-high priority industries (i.e. industries listed in Annex. Ill of the Statement on Industrial Policy of 24th July, 1991).

Statement

Country-wise break-up of the Foreign Collaboration Approvals issued during the year 1991-92; *Period from* 1-4-1991 *to* 31-3-1992).

SI. No	Name of the Country	Investment Approved (Rs. in crores)
1.	Australia	3.62
-2	Austria .	2.10
3.	Belgium	23.59
4.	Brazil	0.02
'5.	Canada .	4.86i
6.	China	0.75
7.	Denmark	17.30
' 8.	Finland	2.44
9.	Germany	26.47
10.	France	20.77
11.	Hong Kong .	73.09
12.	Italy	37.62
13.	Korea (South)	18.74
14.	Korea (North)	0.17
15.	Japan	149.29
16.	Malaysia	0.18
17.	Mexico .	5.20
18.	Netherlands .	58.29
19.	Portugal	0.16
.20.	Singapore	3.62
21	Spain ...	2.00
22.	Sweden	29.29
23..	Norway	0.42
-24.	Switzerland	92.46
25.	Taiwan . . .	1.68
26.	U.A.E	6.19
27.	U.K	78.83
,28.	U.S.A.	395.22
39.:	Rassia (U..S.S.R.)	9.63
30	NRI	255.09
31	Bermuda	2.39
32	Dubai .	0.40
33	Indonesia	1.25
34	Qatar .	4.53.
35	Channel Island TOTAL:	0.53
		1328.19

अमरीकी कम्पनियों के व्यापार पर कम प्रतिबंध

@3988. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीकी कम्पनियों को अपनी पूर्ववर्ती योजना की तुलना में कम प्रतिबंधों तथा असीमित देनदारियों के साथ व्यापार जारी रखने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (ग) कुछ विदेशी निवेशकों ने, जिनका भारत में बिजली संयंत्र स्थापित करने और चलाने का इरादा है, कम्पनी विधेयक, 1993 के खंड 25 व 45 में संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि असीमित कम्पनियों को निगमित किए जाने की विद्यमान सुविधा को बिना किसी परिवर्तन के जारी रखा जा सके। इसका मुख्य कारण यह है कि जब तक किसी कम्पनी को संयुक्त राज्य कर के प्रयोजनों हेतु एक भागीदारिता फर्म के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, तब तक संयुक्त राज्य कर कानून (और करों) विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय को अक्सर प्रतिकूल ढंग से मान्यता देता है और वह तभी संभव है यदि कम्पनी को असीमित देयता के साथ निगमित किया जाए। विदेशी निवेशकों के अनुरोध को नोट कर लिया गया है और इस पर कम्पनी विधेयक, 1993 में संशोधन के लिए प्राप्त अन्य सुझावों सहित सरकार द्वारा सम्यक विचार किया जाएगा।

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न सं० 2640, 15 मार्च, 1994 से स्थानांतरित।